

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह-III  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय,  
सुलतानपुर ।  
आई0डी0 5854

सेवा में,

महा-निबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

पत्रांक 299 / परिवारिक न्यायालय, सुलतानपुर, 26/09/ 2022

विषय :- प्रार्थी द्वारा वाहन को श्री प्रदीप कुमार मौर्य, प्राइवेट आदमी को बेंचे जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त वाहन मेरे द्वारा 10 अक्टूबर, 2013 में अपने व्यक्तिगत एवं राजकीय कार्य हेतु क्रय किया गया था जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में प्रेषित की गयी थी। उपरोक्त वाहन डीजल वाहन था। उपरोक्त वाहन दस वर्ष पुराना होने पर उसका पुनः पंजीयन व फिटनेश करना पड़ता। वाहन पुराना होने पर अत्यधिक तेल की खपत, रख रखाव व रिपेयरिंग की आवश्यकता हो रही थी। बारह वर्ष पुराने डीजल वाहन को दिल्ली एन0सी0आर0 में प्रतिबन्धित कर दिया गया था। प्रार्थी जिला पलवल (हरियाणा) का रहने वाला है। प्रार्थी को अचानक एक ग्राहक मिल गया जिसका कोई मुकदमा प्रार्थी के न्यायालय में विचाराधीन नहीं था और न ही निर्णीत हुआ था। वह प्रार्थी के वाहन की अच्छी कीमत दे रहा था और अनुमति की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाहन को श्री प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र श्रीकान्त मौर्य को बेंच दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी जिसकी अनुमति न्यायालय से नहीं ले सका और सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित नहीं कर सका। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूल ऊपर वर्णित कारणों से हुई है जिसके लिये प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है और भविष्य में सदैव सजग रहेगा और भविष्य में नियमों का पालन करेगा।

आख्या माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित।

“सादर”

भवनिष्ठ

NO 299-09-2022  
प्रधान न्यायाधीश  
(महेन्द्र सिंह-III) कुटुम्ब न्यायालय  
प्रधान न्यायाधीश, सुलतानपुर  
परिवारिक न्यायालय  
सुलतानपुर।  
आई0डी0 5854

दिनांक-26.09.2022